272

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल , ग्वालियर §म0प्र0§

380

Rs.301/-

निगरानी क्र0....../2017

विलोपित/विलोपित

म/नि0/रीवा/2017/क्र0/2924

सावित्री बेवा चूडामणि निवासी ग्राम कोट थाना व तह0 नईगढ़ी जिला रीवा§म0प्र0§ :----निगरानीकर्ता/आवेदक

:- बनाम :-

कन्हैया पिता रामचरण हरिजन निवासी ग्राम कोट थाना व तह0 नईगढ़ी जिला रीवा§म0प्र0§ :----गैरनिगराकार/अनाव0

श्रीमती सावित्री द्वारा पेश/29.8.17

राजस्व मं0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध नायब तहसीलदार तहसील नईगढी जिला रीवाम0प्र0 राजस्व मण्डल रामपुर जिला रीवाम0प्र0जरिए प्रकरणक्रमांक 23/ए-12/2016-17 अ

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 सन् 1959ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

§1§ यह कि खसरा क्रमांक 17/5 रकबा 2.023 हे0 ग्राम पो0 राजस्व निरीक्षक मंडल रामपुर तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 में स्थित है जो प्रार्थी/आवेदक के भूमिस्वामी व कब्जे दखल की अराजी है

§2§ यह कि भूमि नं0 17 करीब 100 एकड की बंजर भूमि है जिसका अंशभाग 2.023 हे0 मे प्रार्थिया को बंटन भूमि प्राप्त हुई थी। जिसके शेष रकबे मे कई लोगों को भूमि बंटन मे प्राप्त हुई है। मौके मे प्रार्थिया कावृक्ष व आवास बना कर कब्जा दखल किये हुये है।

§3§ यह कि बिवादित भूमि में किसी का भी नक्सीनप्लाट नहीं बना हुआ है किन्तु अनावेदक ने जानबूझ कर आवासीय भू-खण्ड को हड़पने की लिये राजस्व अधिकारियों से मिलकर बिना सूचित किये सीमांकन किया है जिसका हवाला सीमांकन प्रतिवेदन मे अंकित है।

7

क्रमश:........./2

(272)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 2924 जिला–रीवा

सावित्री चूड़ामणि / कन्हैयालाल हरिजन

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री भोला प्रसाद पटेल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार, तहसील नईगढ़ी के प्रकरण क्रमांक 23 / अ–5 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	